Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्यायें एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन

डॉ. सुषमा*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी0एड0) दयानन्द आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – बाल श्रम किसी भी देश के लिये एक कलंक के समान है जिसके कारण बच्चों के बचपन की नैसर्गिक अभिक्षमता, रचनात्मकता, अभिरूचि का नाश हो जाता है। बच्चे विश्व के सर्वाधिक अनमोल संसाधन है, असीम नैतिक और बौद्धिक शक्ति के भण्डार और पर्याय है। इन्हें संवारने का स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक अवसर शिक्षकों को प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये परिवार, समाज, सरकार एवं शिक्षक को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। इसी तथ्य के दृष्टिगत यह शोध किया गया है। इस शोध का क्षेत्र मुरादाबाद जनपद है। शोध की जनसंख्या में 6–14 वर्ष तक 100 बाल श्रमिक व उनके 50 अभिभावकों का चयन किया गया है। शोध के निष्कर्ष मिले जुलेरूप में प्राप्त हुये हैं। अत: यह शोध बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं एवं बाल श्रमिकों के लिये संवैधानिक प्रावधानों के प्रति उनके अभिभावकों व अध्यापकों को सचेत करेगा एवं उन्हें नवीन दृष्टि प्रदान करने के साथ ही उपयोगी सिद्ध होगा।

शब्द कुंजी – बाल श्रम, शौक्षिक समस्या, अभिभावक, संवैधानिक प्रावधान।

प्रस्तावना – किसी भी देश का सुनहरा भविष्य, देश की प्रगति व विकास उस वेश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। आज के बच्चे भविष्य के नागकिर है। बच्चों को आज के आधुनिक और तकनीकी के दौर में वैश्वीकरण और औद्योगीकरण के कारण मानवता और समस्त देशों के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, आर्थिक विषमता, गरीबी का व्यापक होना, लैंगिक असमानता आदि चुनौतियों से निपटने के लिये उनका समग्र विकास अति आवश्यक हो जाता है। आर्थिक गरीबी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ापन आदि बाल श्रम को प्रोत्साहित करता है। बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। आज वर्तमान समय में बाल श्रम बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जो राष्ट्र अपने नौनिहालों के लिये संवेदनशील, जागरूक व सजग नहीं, वह अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकता है। आने ही राष्ट्र के बच्चों के भविष्य के प्रति असंवेदनाशीलता, उदासीनता को अपराध की दृष्टि से देखा जाता है।

शोध की आवश्यकता – किसी भी देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ के आधारभूत मानवीय संसाधन के रूप में प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाये। बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्यायें सामान्य बालकों से भिन्न हैं, एवं इनके सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है कि इनकी शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाये और यह भी जाना जाये कि इन्हें सुलझाने के लिये कौन से प्रयास किये जा रहे हैं? और वे किस हद तक सार्थक सिद्ध हो रहे हैं बाल श्रमिकों के लिये चलाई जा रही योजनाओं को सफल बनाने के लिये, बाल श्रमिकों की समस्याओं को जानने के लिये एवं समाज और देश को बालश्रम के कलंक से बचाने के लिये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शोध अत्याधिक आवश्यकता प्रतीत होती है।

शोध समस्या का अभिकथन – शोध समस्या का अभिकथन निम्नलिखित रूप से भाषाबद्ध किया गया है:

'बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्यायें एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन'

शोध उद्देश्य:

1. मुरादाबाद जनपद में बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. मुरादाबाद जनपद में बालश्रमिकों की पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पना :

1. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं की स्थिति चिंताजनक नहीं है।
2. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों की पारिवारिक समस्यायें शिक्षा अर्जन में बाधक नहीं हैं।
3. मुरादाबाद जनपद में बालश्रम से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति सामान्य है।

शोध विधि व प्रविधि – प्रस्तुत शोध कार्य सर्वेक्षण विधि पर आधारित है।

शोध जनसंख्या न्यादर्श एवं न्यायदर्शन विधि – प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में मुरादाबाद जनपद के 6 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों एवं उनके अभिभावकों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श विधि से किया गया है। इस प्रकार कुल 100 बाल श्रमिकों एवं उनके 50 अभिभावकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

शोध उपकरण–प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी द्वारा बालश्रमिकों के लिये शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूची, बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिये शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तथा बालश्रम से सम्बन्धित अधिकारियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

शोध सांख्यिकी:–प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों का प्रतिशतीय विश्लेषण एवं प्राप्त परिणामों की गुणात्मक व्याख्या की गयी है।

आंकडों का विश्लेषण एवं व्याख्या–बाल श्रमिकों की पारिवारिक एवं शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित विश्लेषण–

क्र.	कथन	प्रतिक्रिया–1		प्रतिक्रिया–1	
		हाँ	%	नहीं	%
1.	क्या आप अपना नाम लिख सकते है?	80	80%	20	20%
2.	क्या आप कभी स्कूल गये हैं?	84	84%	16	16%
3.	यदि आपको पढ़ने का मौका दिया जाए तो क्या आप पढ़ना पसन्द करेंगे?	76	76%	24	24%
4.	टाप अन्य बच्चों को स्कूल जाते हुये देखते है तो क्या आपको स्कूल जाने की इच्छा होती है?	90	90%	10	10%
5.	क्या आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें रूचि है?	14	14%	86	86%
6.	क्या आप केवल अपने अभिभावकों के कहने से कार्य कर रहे हैं?	84	84%	16	16%
7.	क्या आप घर पर भी कार्य करते हैं?	98	98%	2	2%
8.	क्या आपके अभिभावक शराब पीते हैं?	60	60%	40	40%
9.	क्या आपको घर पर भर पेट भोजन मिलता है?	68	68%	32	32%
10.	क्या आपको यह जानकारी है कि अभी आपकी सम्र पढ़ाई करने की है श्रम करने की नहीं?	80	80%	20	20%
11.	क्या आपको खेलने का मौका मिलता है?	64	64%	36	36%
12.	क्या आपके माँ बाप दोनों जीवित हैं?	98	98%	2	2%
13.	क्या आपको यह जानकारी है कि आपकी उम्र के बच्चों का श्रम करना सरकार द्वारा वर्जित है?	22	22%	78	78%
14.	क्या आप अपने अभिभावकों की बगैर जानकरी में श्रम कर रहे हैं?	16	16%	84	84%
15.	क्या परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपको श्रम करना पड़ रहा है?	99	99%	1	1%
16.	क्या आपको पढ़ाई से आसान श्रम करना लगता है?	26	26%	74	74%

न्यादर्श के रूप में चुने गये 100 बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 76 प्रतिशत बाल श्रमिक अपना नाम लिख लेते हैं 99 प्रतिशत बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तथा अभिभावकों द्वारा मजबूर किये जाने पर पढ़ाई छोड़कर बाल श्रम करने लगते हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण–

क्र.	कथन	प्रतिक्रिया–1		प्रतिक्रिया–1	
		हाँ	%	नहीं	%
1.	क्या बरेली जनपद के रोजगार कार्यालय में बाल श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था है?	0	0%	10	100%
2.	क्या अपने कभी किसी सरकारी योजना का लाभ बाल श्रमिकों तक पहुँचाया है?	5	50%	5	50%
3.	क्या आप को बाल श्रम उन्मूलन के लिए चलायी गयी सरकारी योजनाओं की जानकारी है?	8	80%	2	20%
4.	क्या सरकार द्वारा समय–समय पर बाल श्रमिकों से सम्बन्धित सर्वेक्षण कराया जाता है?	9	90%	1	10%
5.	क्या आप बालश्रम उन्मूलन हेतू चलाये जा रहे सरकारी प्रयासों से संतुष्ट है?	6	60%	4	40%
6.	क्या सरकार को बाल श्रमिकों की आर्थिक सहायता हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए?	10	100%	0	0%
7.	क्या आपको बरेली जनपद में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या पता है?	8	80%	2	20%
8.	क्या आप बालश्रम को एक गम्भीर समस्या मानते हैं?	7	70%	3	30%

न्यायदर्श के रूप में चुने गये मुरादाबाद जनपद के श्रम विभाग तथा सम्बन्धित विभागों के 10 अधिकारियों पर किया गये सर्वेक्षण के परिणामों से स्पष्ट है कि मुरादाबाद जनपद में बालश्रम के उन्मूलन के लिये सरकारी प्रयासों का क्रियान्वयन अधिकारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। अधिकतर लगभ 80% अधिकारी जानते हैं कि बालश्रम उन्मूलन से सम्बन्धित क्या सरकारी प्रावधान किये गये हैं। और उनमें से लगभ 50% अधिकारियों ने कई बार बाल श्रमिकों को रोजगार देकर बाल श्रम पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। शोध पत्र से प्राप्त ज्ञान अध्यापकों के लिये भी उपयोगी है क्योंकि वे बालश्रमिकों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकते हैं जिससे किवे अपने बच्चों को विद्यालय भेज कर बालश्रम उन्मूलन में मदद कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2006), 'बाल श्रम की विभीषिका' कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
2. आशीष घोष, सीकर, आर0 हेलेन (2000), 'चाइल्ड लेबर इन मुरादाबाद होम बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दि वेक ऑफ लेजिसलेशन, मुरादाबाद।
3. गुप्ता, एस0पी0 और गुप्ता अलका (2005), 'शिक्षा का ताना बाना', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. दूबे, नीरज (2001), 'म0प्र0 के बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण', योजना भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
5. राय, पारसनाथ (2008), 'अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
6. सम सामायिक घटना चक्र (2009), 'बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2007, सम सामाजिक घटना चक्र प्रकाशन, इलाहाबाद।

****